न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 08/2017

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		राजेश पुत्र केशाराम जाति आचार्य निवासी शास्त्री कॉलोनी बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 ख (v) व (viii)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल ओर से।
2. श्री राजेन्द्र आचार्य अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

निर्णय दिनांक 27.3.2018

1. सायल की ओर से दिनांक 01.9.2017 को गैर सायल राजेश पुत्र केशाराम जाति आचार्य निवासी शास्त्री कॉलोनी बालोतरा पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (v) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का बदमाश एवं जुआरी है। इसकी अपराधिक गतिविधियॉ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके जुर्म से बालोतरा की आम जनता परेशान है। गैर सायल सार्वजनिक स्थानो पर ताश के पतो पर रूपये दाव पर लगाकर जुआ खेलता है जिससे एक को लाभ व एक को हानि होने से आस–पास मारपीट एवं झगड़े होते है। इसको न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

गया तो बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व कुल 04 प्रकरण राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 में दर्ज होकर, चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा 03 प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–

1. मुकदमा संख्या 622/09.12.2012 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम चालान नंबर 285/11.12.2012 अर्थदण्ड
2. मुकदमा संख्या 121/18.03.2013 अन्तर्गत 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम चालान नंबर 60/23.03.2013 निर्णय दिनांक 16.7.2013 अर्थदण्ड
3. मुकदमा संख्या 05/02.01.2014 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम चालान नंबर 08/31.01.2014 निर्णय दिनांक 24.3.2014 अर्थदण्ड

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 29.11.2017 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में इस्तगासा पेश किया गया है। गैर सायल के विरूद्व समाज में अशांति फैलाने, झगड़ा या मारपीट करने तथा गवाहों को धमकाने जैसा एक भी प्रकरण किसी भी स्थान पर दर्ज नहीं है तथा न ही गैर सायल द्वारा इस प्रकार के कृत्यो को अंजाम दिया गया। गैर सायल स्वयं अत्यन्त शांतिप्रिय व्यक्ति है, जो किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियो में लिप्त नहीं रहा है। पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के लिए गैर सायल को 151 सीआरपीसी व 107 सीआरपीसी में कभी भी पाबन्द नहीं किया गया। गैर सायल एक व्यापारी है, उसके द्वारा किसी को डराने, धमकाने का कार्य नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा गैर सायल के विरूद्व गलत इस्तगासा पेश किया गया है। गैर सायल के विरूद्व 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज तीनो प्रकरणो में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा सजा न देकर प्रोबेशन का लाभ दिया गया है। गैर सायल के विरूद्व दिनांक 23.3.2014 के बाद एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैर सायल द्वारा पेश प्रकरण राज. गुण्डा

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

नियंत्रण अधिनियम 1975 की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिये गैर सायल के विरूद्व की जारी रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।

4. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री भंवरलाल सिरवी थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

5. गैर सायल के वकील द्वारा दिनांक 20.3.2018 को लिखित बहस पेश की गई । सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गई। विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत दर्ज 04 प्रकरणों मे से 03 प्रकरणो में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर जुर्माने से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के गवाह श्री भंवरलाल सिरवी थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 के तहत 03 प्रकरणों में सजा होकर जुर्माना से दण्डित होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

6. गैर सायल के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में जाहिर किया कि सायल गवाह श्री भंवरलाल सिरवी थानाधिकारी बालोतरा ने बयानो में गैर सायल के विरूद्व वर्तमान में न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित नहीं होने एवं न ही किसी व्यक्ति ने गैर सायल के विरूद्व कभी भी ऐसी कोई रिपोर्ट पेश की जिससे माना जावे कि गैर सायल से आमजन एवं समाज में भय व्याप्त है बताया। सायल गवाह ने जिरह के दौरान् दिनांक 27.3.2014 के बाद गैर सायल के विरूद्व कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना बताया है। गैर सायल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, व्यापार का कार्य करता है, जिसके विरूद्व वर्तमान में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। सायल द्वारा बिना समुचित जांच एवं अनुसंधान किये पेश किया गया इस्तगासा आधारहीन होने से काबिल निरस्त है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

7. हमने गैर सायल की ओर से पेश लिखित बहस का अवलोकन किया। सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल राजेश आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो जुआ खेलने के कार्यो में संलिप्त है। जुआ जैसे घृणित कार्यो में संलिप्त रहने से व्यक्ति के परिवार एवं समाज को कभी भारी क्षति हो सकती है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना बालोतरा में 04 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के दर्ज हुए जिसमें से 03 प्रकरणो में सजा होना पाया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 (1949 का राजस्थान अधिनियम संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से 03 प्रकरणो में सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी.6 एवं ईएक्सपी 9 अनुसार गैर सायल के विरूद्व 3 मुकदमों में सजा होना बताया है, ये सभी मुकदमें राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम की धारा 13 के है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा द्वारा निर्णय दिनांक 16.7.2013 एवं निर्णय दिनांक 24.3.2014 से गैर सायल को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया गया है। उक्त आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि गैर सायल का आचरण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) के प्रावधानो के तहत गुण्डा व्यक्ति जैसा होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल राजेश पुत्र केशाराम को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत एक माह की अवधि के लिए बाड़मेर जिला से निष्कासित कर, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर .के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैर सायल जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित पुलिस थाना में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

सदाचार एवं शान्ति बनाये रखेगा। गैर सायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा। गैर सायल राजेश इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका रूपये 10000/– एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 एवं नियम 18 के तहत पेश कर, तस्दीक करायेगा। गैर सायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल बाड़मेर जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अगर गैर सायल 15 रोज के भीतर इस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला पुलिस अधीक्षक .जालोर को सुपुर्द कर, पालना सुनिश्चित करावें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.) बाड़मेर